



प्रकाश एवं विकास

कार्यालय प्रबंध संचालक
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

रजि.आफिस: निष्ठा परिसर, गोविंदपुरा, भोपाल- 462023

☎ 0755-2602033-34, 2678280-383-325, फैक्स-2589821

Website: www.mpezc.co.in

CIN Number: U40109MP2002SGC015119

क्रमांक:प्रसं./म.क्षे./कार्य एवं योजना/ 1277
प्रति,

भोपाल, दिनांक: 23/01/2021

✓ महाप्रबंधक (सं./सं./शहर)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि,
.....।

विषय:-कंपनी अंतर्गत अनुबंध पोर्टल पर पंजीकृत विद्युत ठेकेदारों द्वारा रजिस्ट्रेशन निरस्त करवाने की प्रक्रिया निर्धारण बावत।


कंपनी अंतर्गत अनुबंध पोर्टल में पंजीकृत विद्युत ठेकेदारों द्वारा व्यक्तिगत कारणों से अपना पंजीयन निरस्त कर, उनके द्वारा जमा सुरक्षा निधि राशि वापिस करने हेतु इस कार्यालय को लगातार आवेदन प्रेषित किये गये हैं। इस संबंध में मैदानी कार्यालयों से भी ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त कर सुरक्षा निधि लौटाए जाने हेतु लेख किया जा रहा है व मोबाईल पर संपर्क किया जा रहा है। अनुबंध पोर्टल पर पंजीकृत ठेकेदारों के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

- ठेकेदार से वचन पत्र राशि रु. 500 के स्टाम्प पर नोटरी करा कर लिया जावे। प्रारूप संलग्न है।
- ठेकेदार द्वारा जिन जिन वृत्तों में कार्य किया गया है, उन सभी वृत्तों से पृथक-पृथक एन.ओ.सी लिया जाना आवश्यक है।
- जिन ठेकेदार द्वारा पंजीयन कराने के पश्चात् कंपनी क्षेत्रान्तर्गत कोई कार्य नहीं किया गया हो, ऐसे ठेकेदार उनके पंजीकृत पते से संबंधित वृत्त के महाप्रबंधक(संचा/संधा/शहर) से एन.ओ.सी. प्राप्त कर प्रेषित करेंगे।
- पंजीयन निरस्तीकरण केवल उन्हीं ठेकेदारों का किया जावेगा जिनके विरुद्ध कोई कार्यादेश लंबित न हो साथ ही किसी भी प्रकार को कोई प्रकरण लंबित न हो एवं Defect liability अवधि पूर्ण हो चुकी हो।

उपरोक्तानुसार वचन पत्र के साथ महाप्रबंधक अपनी अनुशंसा सहित एनओसी प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित करें जिससे आगामी कार्यवाही की जा सकें।

आपके वृत्त अंतर्गत ठेकेदारों को जानकारी देकर एवं प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार कर एक बार में यथोचित प्रकरण प्रेषित करें।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार


उप मुख्य महाप्रबंधक (कार्य एवं योजना)

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य महाप्रबंधक भो.क्षे. ग्वा.क्षे. म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल ग्वालियर की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


महाप्रबंधक (कार्य)

वचन पत्र

मैं..... "A" श्रेणी विद्युत ठेकेदार,

अथवा

मेरी कंपनी मेसर्स..... जो कि मेरे नाम से मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अनुबंध पोर्टल पर A1/A2/A3 श्रेणी में पंजीकृत है जिसका पंजीयन क्रमांक है। मैं निम्न वचन देता हूँ:-

1. मैं/मेरी कंपनी, जो कि मेरे नाम से मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अनुबंध पोर्टल पर पंजीकृत है, का पंजीयन स्वेच्छा से निरस्त करवा कर पंजीयन की राशि वापस प्राप्त करना चाहता हूँ।
2. मैं/मेरी कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रान्तर्गत में "अ" श्रेणी ठेकेदार की हैसियत से कोई कार्य नहीं किया गया है।

अथवा

3. मैं/मेरी कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रान्तर्गत में "अ" श्रेणी ठेकेदार की हैसियत से विगत 5 वर्षों में जो कार्य किये गये हैं, जिनकी स्व प्रमाणित सूची संलग्न है, के विरुद्ध किसी भी प्रकार की Defect liability नहीं है।
4. भविष्य में/मेरी कंपनी द्वारा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रान्तर्गत में "अ" श्रेणी ठेकेदार की हैसियत से किए गए किसी भी कार्य के विरुद्ध किसी भी प्रकार की Defect liability निकलती है तो स्वयं के व्यय पर समस्त Defect तत्काल सुधारकर/सुधार करवाकर कंपनी को हस्तांतरित करूंगा।
5. बिन्दु क्रमांक 4 में उल्लेखित Defect liability को कंपनी द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण न करने की स्थिति में कंपनी को मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का अधिकार होगा।

वचन दाता

हस्ताक्षर

नाम-

पता-

//सत्यापन//

उपरोक्त वचन पत्र के समस्त बिन्दुओं पर दी गई जानकारी को सत्यापित करता हूँ। सत्यापन आज दिनांक..... को स्थान..... पर किया गया है।

वचन दाता

हस्ताक्षर

नाम-

पता-